NR-26

संजय सिंघल
आई0पी0एस0

अर्द्धशा0पत्रांक:डीजी–चार–स्था0–निर्देश/2017/294
अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांक: जनवरी 23, 2021

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होनें वाले सन्दर्भों के कम में कर्मियों के स्थानान्तरण के संबध में सेवाविवरण एवं प्रार्थना पत्र जनपद प्रभारी से मॉगे जाते है। जिनपर आपके कार्यालय द्वारा अपेक्षित कर्मियों के सेवा विवरण/प्रार्थना पत्र समय से न भेजकर अनावश्यक रूप से विलम्ब से भेजा जा रहा है जिसके कारण कर्मी बार–बार पेश होते हैं जिस कारण से उनको परेशानी होती है तथा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कम होता है। जिसकी शिकायतें इस इस मुख्यालय में प्राप्त हो रही हैं।

2– अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निम्न निर्देश दिये जा रहे है:–

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा कर्मियों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

1. मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा मॉगे जाने वाले सेवा विवरण एवं कर्मी के प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 03 दिवस में उपलब्ध कराया जाय।
2. जिस पत्र संख्या के द्वारा सेवा विवरण मॉगा जाता है उसी पत्र संख्या का पत्र में उल्लेख किया जाय। सेवा विवरण प्राप्त न होने पर मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी द्वारा दूरभाष पर वार्ता करने के उपरान्त दूरभाष पर हुयी वार्ता का उल्लेख न करके प्रेषित पत्र के संदर्भ का उल्लेख करें।
3. किसी अन्य जनपद से आपके जनपद में स्थानान्तरण पर आगमन करने के उपरान्त 02 वर्ष से पूर्व कर्मी का अनुकम्पा के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र इस मुख्यालय को प्रेषित न किया जाय और न ही उसे पेश होने की अनुमति प्रदान की जाय। विशेष परिस्थितयों में जैसे गम्भीर बीमारी/निकट सेवानिवृत्त आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपनी स्पष्ट टिप्पणी/संस्तुति के साथ इस मुख्यालय को भेजने पर विचार कर सकते हैं।
4. पति–पत्नी के राजकीय सेवा में कर्तव्यरत होने के कारण उनके स्थानान्तरण के संबंध में उनके चरित्रपंजिका/सेवापुस्तिका में पति–पत्नी का नाम अंकित होने पर ही प्रकरण इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

जनपद/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र

कतिपय जनपदों के कार्यालय स्टाफ की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कर्मी द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उससे कहा जाता है कि मुख्यालय से प्रार्थना पत्र/सेवा विवरण मॉगे जाने पर ही सेवा विवरण भेजा जायेगा। कार्यालय स्टाफ का कर्मियों के प्रति यह व्यवहार उचित नहीं है।

कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने जनपद की रिक्ति को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र इस मुख्यालय को अपनी स्पष्ट टिप्पणी/संस्तुति के साथ प्रेषित करेंगे।

मुख्यालय पर स्थानान्तरण हेतु पेश होने के संदर्भ

1. कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी कर्मी मुख्यालय में उपस्थित नहीं होगा।
2. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कर्मी को अनुमति दिये जाने पर अनुमति पत्र के साथ कर्मी का सम्पूर्ण सेवा विवरण एवं प्रार्थना पत्र अपनी टिप्पणी सहित भेजा जाय।

3. मुख्यालय में उपस्थित होने पर कर्मी द्वारा साफ सुधरी वर्दी अपने पद के अनुरूप धारण की जायेगी।
4. पेश होने हेतु पूर्व में निर्गत समय 11.00 बजे से 13.00 बजे तक (सोमवार से बृहस्पतिवार तक) उपस्थित होंगे।
5. स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कर्मी स्वयं उपस्थित होगा। उसके सगे संबंधी/रिश्तेदार उपस्थित नहीं होंगे।
6. यदि कार्यालयाध्यक्ष किसी कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते है तो संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा पत्र में इसका उल्लेख करते हुए अपने नाम/पदनाम की मुहर सहित हस्ताक्षर करके अनुमति पत्र एवं सेवा विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
7. कतिपय कर्मी अवकाश (उपार्जित अवकाश/मेडिकल अवकाश/प्रसूति अवकाश इत्यादि) होने का हवाला देकर बिना अनुमति सीधे मुख्यालय में प्रस्तुत होते है। निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कर्मी भी उपरोक्त (1 से 6) निर्देशों का पालन करेंगे।

5– अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

23/1/2021

(संजय सिंघल)

1. पुलिस आयुक्त–लखनऊ नगर एवं गौतमबुद्धनगर (नाम से)
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (नाम से) उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग (नाम से) उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही:–

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त्र परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।